कृषिमित् कृषस्व-खेती ही करो

भारतीय किसान संघ

(सो.रजि.अधि. के अंतर्गत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन : पं. क्र.758/2001-2002)
पंजीकृत कार्यालय : उत्तरांचल उत्थान परिषद, सेवा निकेतन, हरिद्वार रोड, पो.-नेहरूग्राम, देहरादून (उत्तराखण्ड)
केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय : 43, पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
www.kisansangh.org, E-mail- bkscentraloffice@gmail.com दूरभाष : 011-23210048

दिनांक 15.12.2015

अधिवेशन से संबंधित सूचना पत्र

➜ अधिवेशन में अपेक्षित :-

1. अ.भा. कार्यकारिणी 2. प्रदेश-प्रान्त कार्यकारिणी 3. जिला कार्यकारिणी 4. तहसील/विकास खण्डों के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष-जैविक-महिला-युवा तहसील प्रमुख। 5. एग्रो के प्रान्त प्रमुख 6. सभी स्तरों के पूर्णकालिक संगठन मंत्री।

➜ अधिवेशन का केंद्रीय विचार एवं अन्य सूचनाएं :-

1. जैविक कृषि-रोजगारयुक्त ग्राम-स्वस्थ जीवन। 2. इस विचार पर एवं अपने प्रांत के विशेष कार्यक्रमों पर अधिकतम चार बैनर बनाकर ला सकते हैं, जिन्हें 17 फरवरी तक जयपुर पहुंचाना है, 18 फरवरी को प्रदर्शनी एवं कृषि मेले का उद्घाटन होगा। 3. प्रदर्शनी : फ्लेक्स आकार-5X3 फीट ($1\frac{1}{2}$ मी. X 1 मीटर) 4. अपने प्रांत एवं जिले के बैनर लेकर आएं। 5. प्रान्तों के व्यवस्थापक (प्रत्येक प्रान्त से 2 से 4) इनमें कम से कम एक प्रान्त प्रवासी कार्यकर्ता अवश्य होना चाहिए। ये कार्यकर्ता 17 फरवरी प्रातः तक जयपुर पहुंचे। प्रबंधकों के नाम-मोबाइल नंबर एक फरवरी से पूर्व जयपुर भेजें। 6. अपेक्षितों की सूची 20 जनवरी तक जयपुर एवं दिल्ली भेजें। 7. जयपुर के दुर्गापुरा एवं गांधीनगर उप रेलवे स्टेशन है। इन्हीं स्टेशनों पर उतरना चाहिए। यहां से अधिवेशन स्थान नजदीक है। यहां से अधिवेशन स्थान पर जाने की व्यवस्था रहेगी।

➜ निर्वाचन प्रणाली (अखिल भारतीय कार्यकारिणी) :-

1. अपने पंजीकृत विधान के अनुसार केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्वाचन की नई प्रणाली हमें क्रमशः लागू करना है। इस विधान के अनुसार प्रांतों की कार्यकारिणियों के सभी सदस्य मतदाता होंगे। ये मतदाता केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महामंत्री का चयन करेंगे। इस निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया गत निर्वाचन तिथि से एक माह पूर्व प्रारंभ होकर गत निर्वाचन तिथि तक पूरी हो जाना चाहिए। इस वर्ष अधिवेशन के समय इस प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। निर्वाचन अधिकारी अखिल भारतीय संगठन मंत्री होंगे।

➜ प्रस्ताव के विषय :-

1. लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में घोषित करें। बाजार में एमएसपी से मूल्य नीचे जाने पर सरकार बाजार में खरीदारी के लिए उपस्थित रहे। 2. सूखा एवं अकाल के समय राहत के लिए एवं अन्य आपदाओं के समय धन वितरण के लिए किसान-किसानी के लिए कम से कम 5000 करोड़ का सुरक्षा कोष बनाया जाए। आपातकालीन (इमरजेंसी) हेल्प लाइन नंबर घोषित करें, जिससे किसी किसान द्वारा इस सेवा पर फोन किए जाने पर तत्काल सहायता भेजी जा सके। 3. जलवायु परिवर्तन की संभावनाएं उसके अनुसार खेती प्रणाली में सुधार एवं बदलाव पर सुझाव। 4. भूमि लेने की अनुकूल पद्धति एवं हमारी मांग व सुझाव। 5. जैविक कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रवार खोले जाएं, जैविक प्रमाणीकरण की सरल व्यवस्था की जाए। 6. दूध उत्पादकों को लागत एवं लाभकारी मूल्य देने की पक्की व्यवस्था करें एवं बिचौलियों पर लगाम लगाने के बारे में। 7. सरकारों द्वारा किसान-किसानी के नाम पर दी जाने वाले विभिन्न अनुदानों को संस्थाओं के स्थान पर प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के खातों में सीधे जमा करें।

➜ प्रस्ताव के इन विषयों पर अपने सुझाव बिन्दुवार दिल्ली भेजें। ईमेल द्वारा भेजना चाहिए। ➜ पत्र प्राप्ति की सूचना केंद्रीय कार्यालय को दें। ➜ इस पत्र की छाया प्रतियां कराकर प्रदेश प्रान्त कार्यकारिणी को वितरित करें।

भवदीय

प्रभाकर केलकर
महामंत्री, भा.कि.संघ